

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
16/99/2025

रजिस्टर्ड नम्बर  
2025/110

प्रवेश तिथि  
06.03.2025

निर्णय दिनांक  
18.12.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

## बनाम

1. दयाराम पुत्र रामेश्वर,
  2. ना.बा. ममता पुत्री रामेश्वर संरक्षक सरपरस्त मेवादेवी,
  3. मेवा देवी पत्नी रामेश्वर,
  4. ना.बा. मीनू पुत्री रामेश्वर संरक्षक सरपरस्त मेवादेवी,
  5. रोहिताश पुत्र रामेश्वर,
  6. सोनी पत्नी कन्हैया
- समस्त जातियान माली, नि. थानागाजी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)  
भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

—निर्णय:—

तहसीलदार थानागाजी ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 (4) भूमि आवंटन नियम, जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम थानागाजी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की हाल आराजी खसरा नं० 1732 रकबा 0.01 है० भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया है अप्रार्थीगण दयाराम, रोहिताश, ममता, मीनू वारीसान रामेश्वर जाति माली, मेवा देवी पत्नी रामेश्वर, सोनी पत्नी कन्हैया जाति माली नि. थानागाजी तहसील थानागाजी को आराजी खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.01 है० भूमि आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तरण संख्या 1047 स्वीकृति दिनांक 22.08.1984 के द्वारा गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था।

उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों/नियमों की पालना न किये जाने के कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान उक्त आवंटन निरस्त किये जाने की कृपा करें।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित। वकील प्रार्थी (राजकीय अभिभाषक) की बहस सुनी गई। राज. अभि. की बहस पर चिन्तन-मनन किया। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का थानागाजी दिनांक 30.11.2024 के अनुसार उक्त विवादित आवंटित आराजी खसरा नंबर 1732 रकबा 0.01 है० आवंटी/अप्रार्थीगण दयाराम, रोहिताश, ममता, मीनू वारीसान रामेश्वर जाति माली, मेवा देवी पत्नी रामेश्वर, सोनी पत्नी कन्हैया जाति माली सा. देह गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। आवंटी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर संवत् 2040-2080 तक की गिरदावरी में कोई भी फसल का अंकन नहीं है एवं भूमि पड़त है। आवंटी का भूमि पर मकान बनाकर कब्जा है। पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त आवंटित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

भूमि को अप्रार्थी/आवंटी द्वारा आवंटन के बाद आवंटन की मूल शर्त कृषि हेतु उपयोग में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा दिए गए तथ्यों एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काशत नहीं है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम व तहसील थानागाजी जिला अलवर स्थित हाल आराजी खसरा न0 1732 रकबा 0.01 है0 भूमि का आवंटन, जो अप्रार्थी/आवंटी (आवंटी/अप्रार्थीगण दयाराम, रोहिताश, ममता, मीनू वारीसान रामेश्वर जाति माली, मेवा देवी पत्नी रामेश्वर, सोनी पत्नी कन्हैया जाति माली) के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थी के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)  
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज0)